

न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरु (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 03 सन् 2020

दायरा दिनांक 23.1.2020

आवास फायनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाऊसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साऊथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-30202

-प्रार्थी

बनाम

1. मनीराम पुत्र गणपतराम नायक, जाति नायक, पता- घड़सीसर, पोस्ट अड़सीसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरु(द्वितीय पात- पट्टा, नंबर 33677, मिसल नंबर 164, संकल्प नंबर 03, ग्राम घड़सीसर, ग्राम पंचायत अड़सीसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरु- 331403)
2. गुडकी देवी पत्नी मनीराम, जाति नायक, पता- घड़सीसर, पोस्ट अड़सीसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरु
3. मैनेजर पुत्र गणपतराम, पता- घड़सीसर, पोस्ट अड़सीसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरु

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002



उपस्थित:- श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता - प्रार्थी

-:: निर्णय ::-


निर्णय दिनांक 13.2.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी से दिनांक 9.3.2017 को 5,00,000/- रूपये (अखरे पांच लाख रूपये मात्र) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थी श्री मनीराम पुत्र गणपतराम नायक की आवासीय भूमि जिसके पट्टा नंबर 33677, मिसल नंबर 164, संकल्प नंबर 3, ग्राम घड़सीसर, ग्राम पंचायत अड़सीसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरु में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 511½ दरगज है का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है। उतर में - गली, दक्षिण में - मालाराम का मकान, पूर्व में - भगवानाराम, पश्चिम में - गली।

जिला कलक्टर
२६

2. ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 30.9.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 5.10.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।
3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।
4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।
6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरू को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(संदेश नायक)
जिला कलेक्टर, चूरू